भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *379

जिसका उत्तर 19.03.2020 को दिया जाना है

ट्रक ड्राइवरों और गाड़ियों के बेड़े के मालिकों का उत्पीड़न

*379. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक सरकारी एजेन्सियों जैसे यातायात या राजमार्ग पुलिस और कर तथा परिवहन विभागों के कार्मिकों द्वारा ट्रक ड्राइवरों तथा गाड़ियों के बेड़े के मालिकों का उत्पीड़न किया जाता है;

(ख) क्या ट्रक ड्राइवरों और गाड़ियों के बेड़े के मालिकों को प्रति वर्ष लगभग 48,000 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में देना पड़ता है जैसा कि 29 फरवरी, 2020 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक सूचित ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने ट्रक ड्राइवरों और गाड़ियों के बेड़े के मालिकों का उत्पीड़न नहीं करने के लिए इन एजेन्सियों को कोई अनुदेश जारी किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'ट्रक ड्राइवरों और गाड़ियों के बेड़े के मालिकों का उत्पीड़न' के संबंध में श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील और श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए दिनांक 19.03.2020 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *379 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

.....

(क) कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जहां किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट के प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग किए जाने के दौरान उन्हें असुविधा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

(ख) से (घ) मंत्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ड.) से (छ): संसद ने हाल ही में मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया है। अधिक से अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने और अनियमितताओं / भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा नागरिकों को सहूलियत और सुविधा प्रदान करने के लिए "सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन" हेतु स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरों, स्पीड गनों, शरीर पर धारण किए जाने वाले कैमरों और इस प्रकार की अन्य तकनीक का उपयोग करने जैसे नए प्रावधानों को जोड़ा गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने सा.का.नि. 1081 (अ), दिनांक 2 नवंबर, 2018 के माध्यम से "राष्ट्रीय परमिट" शब्दों को अंकित करने के लिए अनुदेशित रंग स्कीम का लोप कर दिया है। यह अनुमति दी गई है कि अगर यह प्रमुखता से दृष्ट होते है, तो ट्रांसपोर्टर्स किसी भी रंग में शब्दों को पेंट कर सकते हैं। दो ड्राइवर रखने की न्यूनतम आवश्यकता को भी हटा दिया गया है। राष्ट्रीय परमिट और व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस वाले सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से फास्टैग लगाना अनुदेशित किया गया है। इसके अलावा, परिवहन वाहन के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र आठ वर्ष पुराने के वाहनों के लिए दो वर्ष और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मोटर वाहन के चालक या कंडक्टर को पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों को वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे भी उपलब्ध हो या डिजीलॉकर एप्लिकेशन या एम परिवहन एप्लिकेशन से डाउनलोड किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

*****